न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
224/2020	15—10—2020	26/04/2022

उनवान

01. मनोज कुमार पुत्र श्री गजराज जाति अहीर निवासी मादीपुर, दिल्ली हालाबाद ग्राम नानगहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

————:: वादी

बनाम

01. नूरजहां पत्नी नारंगी (मृतक)
    1/1 मोहम्मद खां
    1/2 उमर मोहम्मद उर्फ लीला
    1/3 शरीफ उर्फ धोलू
    1/4 रज्जाक
    1/5 वली मोहम्मद पुत्रान स्व0 नूरजहॉ पत्नी नारंगी जातियान मेव निवासीगण रभाना तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
02. कमरूदीन
03. फजरूदीन
04. सुबेदीन
05. खल्ली पुत्रान सुमेरखां
06. मजीदन
07. सहसूदी पुत्रीयान सुमेरखां
08. शिम्भू पुत्र छोटेखां जाति मेव निवासीगण ग्राम रभाना तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
09. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा ईशरोदा जिला अलवर राजस्थान
10. श्रीमान् तहसीलदार साहब, तिजारा बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

—————:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम रभाना तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में स्थित आराजी खसरा नम्बर 469 रकबा 0.3200 है0 किस्म जाव सोयम आराजी प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। विवादित आराजी खसरा नम्बर 469 रकबा 0.3200 है में मिन वादी का 3/10 हिस्सा निहित है एवं शेष हिससा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 का मुताबिक जमाबन्दी निहित, जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में हो रहा है। विवादित आराजी पर मिन वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 शामलात में काबिज काश्त है। विवादित आराजी मिन वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिस पर मिन वादी व प्रतिवादीगण शामलात में काबिज — काश्त है। मिन वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के मध्य विवादित आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त नाम के अंकन होने के

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

तिवादीगण आये दिन मिन वादी की कब्जे काश्त की आराजी में मजाहमत व मदाखलत पैदा करते है। अब मिन वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 469 रकबा 0.3200 हैं0 में मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अपने 3/10 हिस्सा को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में तकासमा कराकर अलग कुर्रेजात कायम कराकर, खाता अलग कराना चाहता है, जिस हेतु यह वाद पत्र तकासमा आराजी पेश करना लाजिम आया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 तामील के उपरान्त अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्ध का कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 9 व 10 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। जवाब सरकार बन्द किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र मनोज पुत्र श्री गजराज जाति अहीर । मादीपुर दिल्ली हालाबाद ग्राम नानगहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) पेश किया जो शामिल ली किया गया। उपस्थित वकील वादी ने वाद को प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में दिनांक 15-02-2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तिजारा को मौका कमिश्नर त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुर्रे तलब की गई।

चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र कमांकः भू.अ./2022/5337 दिनांक 20-04-2022 के द्वारा प्रकरण र्रे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट फाईनल डिक्री किये जाने हेतु निवेदन । कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिक्री किया जाता है निम्नानुसार आराजी खसरा नम्बर 469 रकबा 0.3200 ाके ग्राम रभाना तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश जाते है।

सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
1.	मनोज कुमार पुत्र गजराज जाति अहीर सा. मादीपुर दिल्ली हाल आबाद नानगहेडी खातेदार	469/1	0.0960
2.	नूरजहां पत्नी नारंगी हि0 3/7 मेव सा. देह शिम्भू पुत्र छोटे खां 6/35 हि. मेव राहिन पीएनबी ईशरोदा कमरूदीन पुत्र सुमेर खां 1/15 हि. फजरूदीन पुत्र सुमेर खां 1/15 हि. सुबेदीन पुत्र सुमेर खां 1/15 हि. खल्ली पुत्र सुमेर खां 1/15 हि. सहसुदी पुत्री सुमेर खां 1/15 हि. मजीदन पुत्री सुमेर खां 1/15 हि. मेव सा. देह खातेदार	469/2	0.2248

तकसीम शुद्दा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें। । डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
224 / 2020	15-10-2020	26/04/22

उनवान

1. मनोज कुमार पुत्र श्री गजराज जाति अहीर निवासी मादीपुर, दिल्ली हालाबाद ग्राम नानगहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: वादी

बनाम

01. नूरजहां पत्नी नारंगी (मृतक)
    1/1 मोहम्मद खां
    1/2 उमर मोहम्मद उर्फ लीला
    1/3 शरीफ उर्फ धोलू
    1/4 रज्जाक
    1/5 वली मोहम्मद पुत्रान स्व0 नूरजहॉ पत्नी नारंगी जातियान मेव निवासीगण रभाना तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
02. कमरूदीन
03. फजरूदीन
04. सुवेदीन
05. खल्ली पुत्रान सुमेरखां
06. मजीदन
07. सहसूदी पुत्रीयान सुमेरखां
08. शिम्भू पुत्र छोटेखां जाति मेव निवासीगण ग्राम रभाना तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
09. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा ईशरोदा जिला अलवर राजस्थान
10. श्रीमान् तहसीलदार साहब, तिजारा बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: पर्चा डिकी ::–

आराजी खसरा नम्बर 469 रकवा 0.3200 है0 वाके ग्राम रभाना तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
01.	मनोज कुमार पुत्र गजराज जाति अहीर सा. मादीपुर दिल्ली हाल आबाद नानगहेडी खातेदार	469/1	0.0960

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]